क.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी सीमित

वी.

अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अन्य (2021 की सिविल अपील संख्या 687-688)

अप्रैल 20,2023

[बी**.** आर**.** गवई और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

बिजली-'कानून में परिवर्तन' कार्यक्रम-लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना, यदि 'कानून में परिवर्तन' कार्यक्रम आयोजित किया जाता हैःहां-लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना बिजली परियोजना समझौतों के तहत परिभाषित 'कानून में बदलाव' के समान होगा-एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के समवर्ती निष्कर्षों के साथ कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है-'कानून में बदलाव' के कारण देय मुआवजे पर पहुंचने की कार्यप्रणाली भी-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972-के साथ हस्तक्षेप नहीं करती है।धारा 38 (वी)-पुनर्स्थापन का सिद्धांत।

ग

डी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1** एम**.** एस**.** ई**.** डी**.** सी**.** एल बनाम ए**.** पी**.** एम**.** एल**.** और अन्य के मामले में**,**

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि घरेलू कोयले की कमी के लिए 'कानून में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक' यानी एन**.** सी**.** डी**.** पी**., 2007** के संदर्भ में आश्वस्त मानक कोयले की आवश्यकता के **100%** के विपरीत होनी चाहिए।स्टेशन हीट रेट **(**"एसएचआर"**)** और सहायक खपत को विनियमों या वास्तविक के अनुसार माना जाना चाहिए**,** जो भी कम हो।एन**.** सी**.** डी**.** पी**., 2013** के लिए 'कानून में परिवर्तन' कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख **1** अप्रैल **2013** रखी गई थी।शक्ति नीति में संशोधन के कारण 'कानून में बदलाव' के कारण घरेलू कोयले की कमी के लिए मुआवजा एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य के मामले में **3** मार्च **2023** के फैसले में शामिल है।**[**पारस **31-33] [661-C-F]**

ई.

च

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और

जी.

अन्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 233-पर निर्भर थे।

1.2 शक्ति नीति के संबंध में मुद्दा संबंधित है**,** इस न्यायालय द्वारा **2021** की सिविल अपील संख्या **677-678** और सिविल अपील संख्या **5684** ए में सम तिथि के निर्णयों में इस पर विचार किया जाता है।

एच.

2021 में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस न्यायालय द्वारा 'कानून में परिवर्तन' के कारण लागू किया गया प्रतिस्थापन सिद्धांत, शक्ति नीति की शुरुआत के कारण होने वाले परिवर्तन के कारण भी लागू होगा।इस प्रकार, उपरोक्त तीन निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।**[**पारस **34] [661-**एफ-एच**]**

1.3 विवादित निर्णय और आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने स्वयं राज्य आयोग के समक्ष एम. वाई. टी. शुल्क विनियमों में निर्धारित वहन लागत की मांग की थी।ए. पी. टी. ई. एल. ने ठीक ही कहा है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. को राज्य आयोग के समक्ष जो मांगा गया था, उसके विपरीत अपना दावा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, उक्त मुद्दे में भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।**[**पैरा **35] [662-**ए-बी**]**

ग

1.4 एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य के मामले में यह न्यायालय

सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए कहा गया है कि संयंत्र स्थल पर कोयले के वास्तविक जी. सी. वी. को ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, उक्त मुद्दे के संबंध में भी कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होगा।**[**पैरा **38] [662-**एफ. जी.**] 1.5** एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना 'कानून में बदलाव' के बराबर होगा और क्या एपीएमएल इसके कारण क्षतिपूर्ति का हकदार होगा।यही बात एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. दोनों द्वारा ए. पी. एम. एल. के पक्ष में समवर्ती रूप से रखी गई है, जिससे लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने की घटना को 'कानून में परिवर्तन' घोषित किया गया है।जब तक उक्त मुद्दा विकृत या अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता में या बाहरी विचारों पर आधारित नहीं पाया जाता है, तब तक इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।पी. पी. ए. के अनुच्छेद **1** में पाई जाने वाली 'कानून' की परिभाषा के अवलोकन से पता चलेगा कि भारतीय सरकारी साधन द्वारा कोई भी आदेश या अधिसूचना, नियम या विनियमन 'कानून' का गठन करेगा।यह विवादित नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और विभिन्न वैधानिक प्राधिकरण 'सरकारी उपकरण' शब्द के अंतर्गत आते हैं।वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. के तहत कटौती की तारीख **14** अगस्त **2008** थी।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाघ अभयारण्य को बफर जोन के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति राज्य के पास निहित है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

वन्यजीव **(**संरक्षण**)** अधिनियम की धारा **38** वी के तहत सरकार। बफर जोन के निर्माण और विचार के लिए तीन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि **14** अगस्त **2008** से पहले, जिस क्षेत्र में लोहारा कोयला ब्लॉक स्थित है, उसे बफर जोन के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव भी नहीं था।कट-ऑफ तिथि

के केवल सात दिन बाद, यानी **21** फरवरी **2008** को, मुख्य वन संरक्षक ने मुख्य क्षेत्र के आसपास बफर ज़ोन बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए मंजूरी दी।इसके बाद, **7** मार्च **2008** को, संरक्षक, टी. ए. टी. आर. ने टी. ए. टी. आर. के मुख्य क्षेत्र के आसपास बफर क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तावित सीमांकन प्रस्तुत किया। ग्राम सभा का परामर्श केवल मई **2008** और नवंबर **2008** के बीच हुआ, यानी कट-ऑफ तिथि के बहुत बाद।इसके बाद, **8** अक्टूबर **2008** को, संरक्षक, टी. ए. टी. आर. ने बफर ज़ोन के लिए संशोधित प्रस्ताव टी. ए. टी. आर. को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन. टी. सी. ए.) सहित कई अन्य विचार-विमर्शों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने **5** मई **2010** को एक अधिसूचना जारी की जिसमें **1101.7711** वर्ग किलोमीटर को अधिसूचित किया गया।किमी.टी. ए. टी. आर. के बफर क्षेत्र के रूप में। इस प्रकार, **5** मई **2010** की अधिसूचना, जिसमें वह क्षेत्र शामिल था जहां लोहारा कोयला ब्लॉक स्थित थे, को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में समझना होगा।यह केवल उक्त अधिसूचना जारी होने के कारण है, कोयला ब्लॉक, जो अन्यथा एपीएमएल के लिए उपलब्ध होता, उसके लिए उपलब्ध नहीं था।**[1. 6** एम. ओ. सी. ने **6** नवंबर **2007** के आवंटन पत्र के माध्यम से लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया था और एम. ओ. ई. एफ. ने **28** अप्रैल **2008** की बैठक में ई. ए. सी. की सिफारिश के अनुसार **16** मई **2008** को लोहारा कोयला ब्लॉकों के लिए टी. ओ. आर. प्रदान किया था।**6** नवंबर **2007** के एम. ओ. सी. के उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ए. पी. एम. एल. को लोहारा पश्चिम और लोहारा विस्तार कोयला ब्लॉक का आवंटन विशेष रूप से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में उनके **1000** मेगावाट के बिजली संयंत्र की कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कट-ऑफ तिथि पर प्रस्तुत बोली इस आश्वासन के आधार पर थी कि कोयला उसे लोहारा कोयला ब्लॉक से उपलब्ध होगा।यदि **5** मई **2010** की अधिसूचना जारी नहीं की गई होती तो ए. पी. एम. एल. लोहार कोयला ब्लॉकों से कोयले का उपयोग कर सकती थी जो ए.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

651

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड।

एम. ओ. सी. द्वारा इसे आवंटित किया गया। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. विशेषज्ञ समिति का एक हिस्सा था जिसका गठन एम. ई. आर. सी. द्वारा **21** अगस्त **2013** के अपने आदेश के अनुसार किया गया था।विशेषज्ञ समिति की बैठक की कार्यवाही में भाग लेने के बाद, एमएसईडीसीएल को उक्त विशेषज्ञ समिति के निर्णय के विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन ए. पी. एम. एल. की किसी गलती के कारण नहीं किया गया था और यह सी. आई. एल. द्वारा ही मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसने ए. पी. एम. एल. द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापस कर दिया है। एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के समवर्ती निष्कर्षों के साथ किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी कि लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना पी. पी. ए. के तहत परिभाषित 'कानून में परिवर्तन' घटना के बराबर होगा। **[**पारस **46-48] [664-F-H; 665-A-C]**

ग

1.7 जहाँ तक कार्यप्रणाली का संबंध है, ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. ई. आर. सी. द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसने "हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विधि" का उपयोग करके लोहारा कोयला ब्लॉकों से कोयले की कीमत

निर्धारित करने की सिफारिश की है, जो आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है।इसने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसने लोहारा कोयला ब्लॉकों से खनन की लागत पर पहुंचने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली प्रदान की है।ए. पी. टी. ई. एल. का निष्कर्ष विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे एम. ई. आर. सी. ने नजरअंदाज कर दिया था। विशेषज्ञ समिति ने पाया था कि ए. पी. एम. एल. ने भारत सरकार के इस आश्वासन के आधार पर एक पी. पी. ए. में प्रवेश किया था कि उसे लोहारा कोयला ब्लॉकों से कोयला प्रदान किया जाएगा।हालाँकि, जिन कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, उनके कारण, ए. पी. एम. एल. को आवंटित किए गए लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन ए. पी. एम. एल. की ओर से बिना किसी गलती के रद्द कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि विशेषज्ञ समिति ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, बाहरी उद्योग विशेषज्ञों, यानी कानूनी सलाहकार, वित्तीय विशेषज्ञों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त किया था।यह उल्लेखनीय है कि उक्त विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से एक एम. एस. ई. डी. सी. एल. का प्रतिनिधि था। उक्त पद्धति के तहत जो दिया गया है वह परिवहन की अतिरिक्त लागत है जो ए. पी. एम. एल. को लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के कारण अन्य स्थानों से कोयले के परिवहन के लिए वहन करनी होगी।इसलिए हम उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

652 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

क.

'कानून में परिवर्तन' घटना के कारण देय मुआवजे पर पहुंचने की कार्यप्रणाली के संबंध में।**[**पारस **49** और **50] [665-**डी-एफ**; 668-**एफ-एच**; 669-**ए**;]**

मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और

अन्य (2014) 9 एस. सी. सी. 516:[2014] 8 एससीआर 446; ऊर्जा

वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80:[2017] 3 एससीआर 153

टाटा पावर कंपनी ली ने पारेषण बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1615; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी का उल्लेख किया।

ग

लिमिटेड और 2021 की सिविल अपील संख्या 6927 में अन्य-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2014] 8 एससीआर **446**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

(2017) 3 एससीआर **153**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

डी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2021 की सिविल अपील Nos.687-688।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश दिनांक 05.10.2020 से अपील Nos.340 और 2019 के 354 से।

ई.

एम. जी. रामचंद्रन, जी. उमापति, निरंजन रेड्डी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, डेरियस जे. खंबाटा, साजन पूवय्या, विक्रम नानकानी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री पूर्वा सहगल, शुभम आर्य, निकुंज दयाल, सुश्री पल्लवी सहगल, रवि नायर, सुश्री शिखा सूद, सुश्री रीहा सिंह, सुश्री अनुमेहा स्मिटी, अनीश बजाज, अनूप जैन, मेसर्स उदित किशन एंड एसोसिएट्स के लिए उदित गुप्ता, विश्व मुखर्जी, पुखरंबम रमेश कुमार, यशस्वीकांत, करुण शर्मा, सुश्री जूही सेनगुट्टुवन, महेश अग्रवाल, अमित कपूर, सुश्री पूनम सेनगुप्ता, अविष्कार सिंघवी, अर्शित आनंद, सौनक राजगुरु, अमन शर्मा, सुश्री अपराजित, सुश्री दीपशिखा मिश्रा, अंकितेश ओझा, करण आर।उपस्थित दलों के लिए।

च

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

1. वर्तमान अपीलें बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'एपीटीईएल' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 5 अक्टूबर 2020 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं।

एच.

653

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

2019 का सं. 340, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'एम. एस. ई. डी. सी. एल.' के रूप में संदर्भित), अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया, और 2019 का अपील सं. 354, अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (इसके बाद 'ए. पी. एम. एल.' के रूप में संदर्भित), प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर किया गया, जिससे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद 'एम. ई. आर. सी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 6 सितंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी गई।

2. ए. पी. एम. एल. और एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार (क) 1230 मेगावाट के लिए 8 सितंबर, 2008 (इसके बाद '1230 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित); (ख) 1200 मेगावाट के लिए 21 मार्च, 2010 (इसके बाद '1200 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित); (ग) 120 मेगावाट के लिए 9 अगस्त, 2010 (इसके बाद '120 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित) और (घ) 440 मेगावाट के लिए 16 फरवरी, 2013 (इसके बाद '440 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित) दिनांकित चार दीर्घकालिक बिजली परियोजना समझौते (इसके बाद 'पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित) किए थे।

ग

3. पार्टियों के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले, एपीएमएल ने 10 जनवरी 2007 को लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (संक्षेप में, "एमओसी") को आवेदन किया था।इसके बाद, 6 नवंबर 2007 को, एम.

ओ. सी. ने ए. पी. एम. एल. को एक आवंटन पत्र (एल. ओ. ए.) जारी किया जिसमें ईंधन के आवंटित स्रोत के रूप में लोहारा (पश्चिम) और लोहारा विस्तार (ई) कोयला ब्लॉकों के आवंटन की जानकारी दी गई।इसके बाद, 23 नवंबर 2007 को, एपीएमएल ने तिरोडा थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) की इकाइयों 1,2 और 3 की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेष क्षमता के लिए कोयला लिंकेज के अनुदान के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) (इसके बाद "एसएलसी (एलटी)" के रूप में संदर्भित) को आवेदन किया।

डी.

ई.

4. 27 दिसंबर 2007 को, महाराष्ट्र सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (V) के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की, जिसमें 625.82 वर्ग कि. मी. को वर्गीकृत किया गया।किमी.ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य को एक महत्वपूर्ण बाघ आवास (सी. टी. एच.) के रूप में।यह ध्यान देने योग्य है कि, इस समय सी. टी. एच. का सीमांकन करने वाले क्षेत्र में लोहारा कोयला ब्लॉक का क्षेत्र शामिल नहीं था और इस प्रकार, आवंटित खनन पट्टा क्षेत्र में कोयला खनन पर कोई प्रतिबंध नहीं था।प्रस्ताव के लिए संशोधित अनुरोध (आर. एफ. पी.) के अनुसार, बोली की समय सीमा 21 फरवरी 2008 थी और कट-ऑफ तिथि 14 फरवरी 2008 थी, जो समय सीमा से सात दिन पहले थी।ए. पी. एम. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. को 1320 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की, जिसमें उसने निर्दिष्ट किया कि अनुबंधित क्षमता के एक हिस्से के लिए ईंधन स्रोत, अर्थात। 1320 में से 800 मेगावाट क्षमता

च

जी.

एच.

एम. डब्ल्यू., लोहारा कोयला ब्लॉक होगा।6 नवंबर 2007 के एम. ओ. सी. के आवंटन पत्र की एक प्रति बोली की आवश्यकताओं के अनुसार बोली में संलग्न की गई थी।

5. इसके बाद, 21 फरवरी 2008 को, यानी बोली की कट-ऑफ तिथि के सात दिन बाद, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के संरक्षक (संक्षेप में, "टी. ए. टी. आर".) ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 (वी) के तहत टी. ए. टी. आर. के मुख्य क्षेत्र के आसपास एक बफर ज़ोन के निर्माण के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी।

6. बोली की कट-ऑफ तिथि के चौबीस दिन बाद, संरक्षक, टी. ए. टी. आर. ने उपरोक्त बफर क्षेत्र के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के मुख्य वन संरक्षक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।इस प्रस्ताव के लंबित रहने के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (संक्षेप में, "एम. ओ. ई. एफ".) ने 14 सितंबर 2006 की एम. ओ. ई. एफ. की अधिसूचना के विनियमन 7 के संदर्भ में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, एम. ओ. ई. एफ. (संक्षेप में, "ई. ए. सी".) द्वारा अपनी 21 वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर, लोहारा कोयला ब्लॉकों में खनन के लिए ए. पी. एम. एल. को संदर्भ की शर्तें (टी. ओ. आर.) प्रदान कीं।

ग

डी.

7. इसके बाद, तिरोदा टी. पी. एस. की इकाइयों 2 और 3 से अनुबंधित क्षमता की आपूर्ति के लिए 8 सितंबर 2008 को दोनों पक्षों के बीच 1320 मेगावाट का पी. पी. ए. निष्पादित किया गया। कोयला लिंकेज के लिए ए. पी. एम. एल. के आवेदन के

अनुसरण में, एस. एल. सी. (एल. टी.) ने 12 नवंबर 2008 को एक आश्वासन पत्र (एल. ओ. ए.) जारी किया, जिसमें कोयला लिंकेज को अधिकृत किया गया, साथ ही यह स्वीकार किया गया कि लोहारा कोयला ब्लॉक ए. पी. एम. एल. की अनुबंधित क्षमता के एक हिस्से के उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, यानी एम. एस. ई. डी. सी. एल. को 800 मेगावाट।

ई.

च

8. इस बीच, 8 अक्टूबर 2008 को, संरक्षक, टी. ए. टी. आर. ने उपरोक्त बफर ज़ोन बनाने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें पहली बार, लोहारा कोयला ब्लॉक के लगभग 176 हेक्टेयर का खनन पट्टा क्षेत्र शामिल था।ई. ए. सी. की एक बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसका क्षेत्रफल 1067.21 वर्ग कि. मी. है।किमी.टी. ए. टी. आर. का बफर जोन प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद, 1 नवंबर 2009 को आयोजित अपनी 59 वीं बैठक में, ई. ए. सी. ने लोहारा कोयला ब्लॉकों को जारी किए गए टी. ओ. आर. को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र प्रस्तावित बफर क्षेत्र में आ रहे थे, जिसमें एक समृद्ध जंगल के बीच एक बाघ गलियारा शामिल था।इसके बाद, 5 मई 2010 की अधिसूचना के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार ने 1101.7 वर्ग किलोमीटर को अधिसूचित किया।किमी.टी. ए. टी. आर. के बफर क्षेत्र के रूप में।

जी.

एच.

655

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

9. चूंकि लोहारा कोयला ब्लॉकों का उपयोग 1320 मेगावाट पीपीए के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सका, इसलिए एपीएमएल ने पहले 22 मई 2010 के पत्र के माध्यम से एमएसईडीसीएल को बिजली की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया और उसके बाद, 1320 मेगावाट पीपीए के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में, लोहारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के कारण 16 फरवरी 2011 को एमएसईडीसीएल को एक समाप्ति नोटिस जारी किया। 10.22 मई 2010 को, ए. पी. एम. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. को सूचित किया कि वह लोहारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के कारण पी. पी. ए. द्वारा सहमत शुल्क पर पी. पी. ए. के तहत इकाई II और III से बिजली की आपूर्ति करने में असमर्थ है।14 जून 2010 को, ए. पी. एम. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. को पी. पी. ए. के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में एक बड़ी घटना की घटना के बारे में भी सूचित किया। नतीजतन, एम. एस. ई. डी. सी. एल. को 16 फरवरी 2011 को एक समाप्ति नोटिस जारी किया गया था। 11.17 जुलाई 2012 को, ए. पी. एम. एल. ने एम. ई. आर. सी. के समक्ष 2012 का मामला संख्या 68 के रूप में एक याचिका दायर की, जिसमें लोहारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के कारण 'कानून में बदलाव' और 'बलपूर्वक आकस्मिक' राहत का दावा किया गया।21 अगस्त 2013 को, एम. ई. आर. सी. ने उक्त याचिका में एक आदेश पारित किया जिसमें तिरोदा टी. पी. एस. की इकाइयों II और III पर टी. ओ. आर. की वापसी के प्रभाव का मूल्यांकन करने और ए. पी. एम. एल. को भुगतान किए जाने वाले प्रतिपूरक शुल्क का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक का गठन करने का निर्देश दिया गया। एम. ई. आर. सी. ने एक करोड़ रुपये की अंतरिम राहत भी दी। 3.124 प्रति केडब्ल्यूएच, जो वाणिज्यिक संचालन की तारीख से केवल प्रारंभिक 520 मेगावाट से अधिक बिजली की बिक्री के लिए लागू होगा।हालांकि, बल प्रयोग के संबंध में एपीएमएल के दावे को उक्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

ग

डी.

ई.

12. 21 अगस्त 2013 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, मेसर्स प्रयास एनर्जी ग्रुप, उपभोक्ता प्रतिनिधि (जिसे इसके बाद "प्रयास" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने एम. ई. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए 2013 की अपील

संख्या 296 दायर की। ए. पी. एम. एल. द्वारा 2016 की अपील संख्या 241 के रूप में एक प्रति-अपील भी दायर की गई जिसमें याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।

च

बल मेजर।

13. 21 अगस्त 2013 को एम. ई. आर. सी. द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र सरकार ने 9 दिसंबर 2013 को एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उक्त उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने 17 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की जिसमें 800 मेगावाट क्षमता के लिए एपीएमएल को प्रतिपूरक शुल्क देने की सिफारिश की गई थी जो पूरी तरह से लोहारा कोयला ब्लॉक के कोयले पर निर्भर था।

जी.

14. 17 फरवरी 2014 को एम. ओ. सी. ने पर्यावरण मंजूरी (ई. सी.) और वन के आधार पर लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था।

एच.

उक्त कोयला ब्लॉकों को मंजूरी (एफ. सी.) नहीं दी गई थी।5 मई 2014 के आदेश के अनुसार, एम. ई. आर. सी. ने 2014 के सुओ मोटू मामला संख्या 63 में, एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा ए. पी. एम. एल. को देय प्रतिपूरक ईंधन शुल्क की गणना के लिए एक तंत्र तैयार किया। उक्त आदेश को एम. एस. ई. डी. सी. एल. और प्रयास ने क्रमशः 2014 की अपील संख्या 166 और 2014 की अपील संख्या 218 में चुनौती दी थी।

15. 25 अगस्त 2014 को, इस न्यायालय ने अपने फैसले में

मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और अन्य **1**

14 जुलाई, 1993 से जांच समिति द्वारा किए गए कोयला ब्लॉकों का आवंटन अवैध है।16 अप्रैल 2015 को, बिजली मंत्रालय (संक्षेप में, "एमओपी") ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत एक नीतिगत निर्देश जारी किया ताकि कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 के तहत कोयला ब्लॉक के आवंटन को 'कानून में बदलाव' घटना के रूप में माना जा सके।28 जनवरी 2016 को एमओपी ने संशोधित शुल्क नीति को अधिसूचित किया।16. 11 मई 2016 को, ए. पी. टी. ई. एल. ने 21 अगस्त 2013 के एम. ई. आर. सी. के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रयास द्वारा दायर 2013 की अपील संख्या 296 को आंशिक रूप से अनुमति दी, सिवाय टी. ओ. आर. रद्द करने के मुद्दे को छोड़कर जो एक आकस्मिक घटना नहीं है।11 मई 2016 के उक्त आदेश के माध्यम से, ए. पी. टी. ई. एल. ने 5 मई 2014 के एम. ई. आर. सी. के आदेश के खिलाफ एम. एस. ई. डी. सी. एल. और प्रयास द्वारा दायर अपीलों को भी स्वीकार कर लिया।ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा कि एम. ई. आर. सी. नियामक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिससे एम. ई. आर. सी. द्वारा अपनी नियामक शक्ति का प्रयोग करते हुए ए. पी. एम. एल. को प्रतिपूरक ईंधन शुल्क के पुरस्कार को अलग कर दिया जाता है।हालांकि, ए. पी. टी. ई. एल. ने टी. ओ. आर. को वापस लेने के मुद्दे पर निर्णय के लिए आपात स्थिति के मुद्दे को खुला रखा।

ग

डी.

ई.

17. इस बीच, 11 अप्रैल 2017 को, इस न्यायालय ने एक आदेश दिया

एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य 2 के मामले में निर्णय, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

च

उत्पादन करने वाली कंपनियों को घरेलू कोयले की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों में परिवर्तन पी. पी. ए. में परिभाषित 'कानून में परिवर्तन' घटना के रूप में योग्य है। नतीजतन, 31 मई 2019 के आदेश के माध्यम से, ए. पी. टी. ई. एल. ने ए. पी. एम. एल. द्वारा दायर अपील को 2016 की अपील संख्या 241 होने की अनुमति दी और 21 अगस्त 2013 के एम. ई. आर. सी. के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए एम. ई. आर. सी. को भेज दिया।18. इससे व्यथित होकर, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने 2019 की अपील संख्या 340 के आधार पर एक अपील दायर की, जिसमें कहा गया था कि एम. ई. आर. सी. ने घोषणा करने में गलती की है।

जी.

1 (2014) 9 एससीसी 516 2 (2017) 14 एससीसी 80 ए

एच.

657

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

पी. पी. ए. के तहत 'कानून में परिवर्तन' कार्यक्रम के रूप में लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने की घटना। ए. पी. एम. एल. ने एक प्रति-अपील को प्राथमिकता दी, जो 2019 की अपील संख्या 354 थी, इस आधार पर कि 'कानून में परिवर्तन' के कारण राहत देते समय, एम. ई. आर. सी. ने एक गलत कार्यप्रणाली अपनाई थी जो इसे उसी आर्थिक स्थिति में बहाल नहीं करती है जैसे कि कोई 'कानून में परिवर्तन' नहीं हुआ था।

19. ए. पी. टी. ई. एल. ने विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः(1) “क्या एम. ई. आर. सी. ने लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने की घटना को कानूनी घटना में बदलाव के रूप में घोषित करना उचित था?

ग

(2) क्या एम. ई. आर. सी. को अडानी को कानूनी मुआवजे में परिवर्तन की गणना करने के आधार के रूप में लिंकेज कोयले की भूमि लागत पर विचार करने में उचित माना गया था, जब लोहारा कोयला ब्लॉक कोयले के बोली-चिन्हित स्रोत थे?

(3) क्या एम. ई. आर. सी. को वहन लागत को प्रचलित बहु-वर्षीय शुल्क ("एम. वाई. टी".) विनियमों में निर्दिष्ट दर तक ले जाने में उचित ठहराया गया था?

डी.

(4) क्या एम. ई. आर. सी. ने नई कोयला वितरण नीति ("एन. सी. डी. पी".), 2007 में 100% आश्वासन और शक्ति नीति के तहत हस्ताक्षर किए जा रहे 29.03.2018 ईंधन आपूर्ति समझौते ("एफ. एस. ए".) पर आधारित शक्ति नीति के तहत 75 प्रतिशत आश्वासन के बीच के अंतर को सीमित करने के लिए कानूनी राहत में परिवर्तन को उचित ठहराया था?

ई.

(5) क्या एम. ई. आर. सी. ने एन. सी. डी. पी. 2007 को लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन से जोड़ना उचित था?

च

(6) क्या लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करना अडानी के लिए एक पूर्वानुमेय जोखिम था और क्या इसका अडानी को दी गई कानूनी राहत में बदलाव पर कोई प्रभाव पड़ता है?

(7) क्या एम. ई. आर. सी. ने अडानी को दी गई कानूनी राहत में बदलाव की गणना करते समय विवादित आदेश में स्टेशन हीट रेट ("एस. एच. आर".) और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ("जी. सी. वी".) के संबंध में सही कार्यप्रणाली अपनाई है?क्या ऐसी कार्यप्रणाली पुनर्स्थापन के सिद्धांत का पालन करती है?"

जी.

20. ए. पी. टी. ई. एल. ने 5 अक्टूबर 2020 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों का जवाब दियाः

एच.

" 14.1 मुद्दा संख्या 1:- हमारा मानना है कि अपीलकर्ता लोहार का आवंटन रद्द करने के कारण कानून में बदलाव से प्रभावित हुआ था

कोयला ब्लॉक।तदनुसार, इस मुद्दे पर विवादित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

14.2 मुद्दा संख्या 2:- हमारा मानना है कि अपीलकर्ता कानून में बदलाव के लिए क्षतिपूर्ति की गणना करते समय आधार के रूप में परिवहन लागत सहित लोहारा कोयला लागत का भुगतान करने का हकदार है।

घटनाएँ।इस मुद्दे का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता है।

14.3 मुद्दा संख्या 3:- चूँकि अपीलार्थी ने स्वयं राज्य आयोग के समक्ष अपनी याचिका में एम. वाई. टी. शुल्क विनियमों में निर्धारित दर पर वहन लागत की मांग की थी, हम इस मुद्दे पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इसलिए, अपीलार्थी राज्य आयोग के समक्ष जो माँगा गया है, उसके विपरीत अपना दावा नहीं उठा सकता है।मुद्दा यह है

ग

अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय लिया जाता है।

14.4 मुद्दा संख्या 4:- 2019 और बैच के A.No.116 में हमारे दिनांकित 28.9.2020 के फैसले के अनुरूप, हम मानते हैं कि घरेलू कोयले में कमी की मात्रा को अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित करने के मुद्दे से संबंधित विवादित आदेश में निष्कर्ष में परिवर्तन के तहत पुनर्भुगतान के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

डी.

पी. पी. ए. के कानून प्रावधान। इस मुद्दे का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता है।

ई.

14.5 मुद्दा संख्या 5:- चूंकि कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया था, इसलिए हमें एक निष्कर्ष वापस करना आवश्यक नहीं लगता है

इस मुद्दे पर।किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

14.6 मुद्दा संख्या 6:- हमारा मानना है कि पी. पी. ए. में अपीलार्थी के अधिकारों और दायित्व को सरकारी उपकरणों की ओर से चूक के आधार पर विफल नहीं किया जा सकता है और इसलिए, लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करना व्यवहार्य नहीं था।

च

अपीलार्थी के लिए जोखिम।इस मुद्दे का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता है।

जी.

14.7 मुद्दा संख्या 7:- 2019 और बैच के A.No.116 में हमारे दिनांकित 28.9.2020 निर्णय के अनुरूप, हम मानते हैं कि कानूनी मुआवजे में परिवर्तन की गणना एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियम, 2011 में निर्दिष्ट एस. एच. आर. या वास्तविक एस. एच. आर., जो भी कम हो, और कोयले के वास्तविक जी. सी. वी. के आधार पर की जाएगी।

एच.

659

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

संयंत्र स्थल पर प्राप्त किया गया।इस मुद्दे का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता है।"

21. नतीजतन, ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए ए. पी. एम. एल. द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। इससे आहत होकर, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

22. हमने अपीलार्थी-एम. एस. ई. डी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. जी. रामचंद्रन और प्रतिवादी संख्या 1-ए. पी. एम. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सज्जन पूवय्या को सुना है।

23. श्री रामचंद्रन ने कहा कि एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. दोनों ने लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने को 'कानून में बदलाव' कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने में घोर गलती की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करना एपीएमएल और कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में, "सीआईएल") के बीच का मामला है और एमएसईडीसीएल का इससे कोई लेना-देना नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मंजूरी/सहमति में किसी भी बदलाव को 'कानून में बदलाव' नहीं माना जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 4।1 पी. पी. ए. के तहत आवश्यक सभी सहमति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए ए. पी. एम. एल. को एक दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस तरह, लोहारा कोयला ब्लॉकों के केवल आवंटन को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केस-1 बोली में, ईंधन की व्यवस्था बोलीदाता की जिम्मेदारी थी और इस तरह, एपीटीईएल को इस बात की चिंता नहीं है कि एपीएमएल किस स्रोत से कोयला प्राप्त करेगा।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पी. पी. ए. के अनुसार, कोयले के परिवहन की एकमात्र जिम्मेदारी ए. पी. एम. एल. की थी और इस तरह, ए. पी. टी. ई. एल. ने परिवहन की अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुए मुआवजा देने में गलती की।

ग

डी.

ई.

24. इसके विपरीत, श्री पूवय्या ने प्रस्तुत किया कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामलों में लगातार कहा गया है, अडानी

च

[“ एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य ", संक्षेप में, चूंकि लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का कारण उक्त क्षेत्र को टी. ए. टी. आर. के बफर ज़ोन में शामिल करना था, महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 मई 2010, जो कट-ऑफ तिथि के बहुत बाद थी, एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. दोनों ने सही ढंग से माना है कि उक्त घटना 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी की बोली इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि उसे लोहारा कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे।

जी.

3 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 233

एच.

660

हालांकि, कटौती की तारीख के बहुत बाद, महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के कारण, कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया गया था और इस तरह, एपीएमएल को अन्य स्रोतों से कोयला प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिससे अतिरिक्त लागत आई।

25. श्री पूवय्या ने आगे कहा कि फैसले को देखते हुए

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड पारेषण बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 4 और एम. एस. ई. डी. सी. एल. के मामले में इस न्यायालय के

v. एपीएमएल और अन्य **(**ऊपर**),** तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

26. श्री पूवय्या द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एपीएमएल द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी भी सीआईएल द्वारा वापस कर दी गई थी, जिसमें एपीएमएल की ओर से कोई गलती नहीं पाई गई थी, जिससे कानून लाभ में परिवर्तन के लिए उसके दावे को मजबूती मिली।

ग

27. श्री पूवय्या द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. विशेषज्ञ समिति का एक हिस्सा था, जिसका गठन एम. ई. आर. सी. द्वारा 21 अगस्त 2013 के अपने आदेश के अनुसार किया गया था।उक्त बैठक में भाग लेने के बाद, जिसमें विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि ए. पी. एम. एल. लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के कारण मुआवजे का हकदार था, यह तर्क देना एम. एस. ई. डी. सी. एल. के मुँह में नहीं है कि ए. पी. एम. एल. 'कानून में बदलाव' मुआवजे का हकदार नहीं है।

डी.

28. ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा बनाए गए सात मुद्दों में से पांचवें मुद्दे को ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष नहीं रखा गया था।

ई.

29. जब हमने बिजली की अपीलों के इस समूह को सुना, तो सभी पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि इस न्यायालय को पहले दीवानी अपील का फैसला करना चाहिए

2021 की सं. 684 (एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (ऊपर)) और 2021 की सिविल अपील सं. 6927 (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य)

च

क्योंकि समूह की सभी अपीलों में शामिल तीन मुद्दे समान थे।यह प्रस्तुत किया गया था कि उन दोनों अपीलों का निर्णय तीन सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेकर किया जा सकता है।हालांकि, जहां तक अन्य अपीलों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि तीन सामान्य मुद्दों के अलावा, कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल थे और यह सहमति हुई कि उन दो अपीलों पर निर्णय लेने के बाद, इन अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।

जी.

30. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैंः

4 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1615 ए

एच.

661

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

(i) क्या एन. सी. डी. पी. 2013 के कारण 'कानून में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक' यानी एन. सी. डी. पी. 2007 के संदर्भ में आश्वस्त मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत होनी चाहिए या एन. सी. डी. पी. 2013 में ट्रिगर स्तरों तक सीमित होनी चाहिए। आश्वस्त कोयले की मात्रा (ए. सी. क्यू.) का 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत?

((ii) क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत की गणना के लिए, संचालन मापदंडों पर 'वास्तविक' पर विचार किया जाना चाहिए या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार?

((iii) क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत मुआवजा 1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) या 31 जुलाई 2013 (एन. सी. डी. पी. 2013 की तारीख) से दिया जाना है?

ग

31. एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपरोक्त) के मामले में 3 मार्च 2023 के निर्णय और आदेश के माध्यम से पक्षों के सभी विद्वान वकीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद, इस न्यायालय ने उपरोक्त तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दो अपीलों का फैसला किया।

डी.

32. इस न्यायालय द्वारा पहले मुद्दे का उत्तर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घरेलू कोयले की कमी के लिए 'कानून में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक' यानी एन. सी. डी. पी., 2007 के संदर्भ में आश्वासन दी गई मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत होनी चाहिए।जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्टेशन ताप दर (संक्षेप में "एसएचआर") और सहायक खपत पर विनियमों या वास्तविक नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जो भी कम हो। तीसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया गया कि एन. सी. डी. पी., 2013 के लिए 'कानून में बदलाव' कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख 1 अप्रैल 2013 है।

ई.

33. इस प्रकार, शक्ति नीति में संशोधन के कारण 'कानून में परिवर्तन' के कारण घरेलू कोयले की कमी के मुआवजे के संबंध में मुद्दा संख्या 4 हमारे दिनांकित निर्णय में शामिल है।

च

3 एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में मार्च 2023।

34. जहाँ तक शक्ति नीति के संबंध में मुद्दे का संबंध है, उसी पर हम अपने सम तिथि के निर्णयों में, 2021 की सिविल अपील संख्या 677-678 और 2021 की सिविल अपील संख्या 5684 में विचार करते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा 'कानून में परिवर्तन' के कारण लागू किया गया प्रतिस्थापन सिद्धांत, शक्ति नीति की शुरुआत के कारण होने वाले परिवर्तन के कारण भी लागू होगा।इस प्रकार, उपरोक्त तीन निर्णयों में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में अंक संख्या 4 पर ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

जी.

एच.

662

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

35. जहां तक मुद्दा संख्या 3 का संबंध है, विवादित निर्णय और आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एमएसईडीसीएल ने स्वयं राज्य आयोग के समक्ष एमवाईटी शुल्क विनियमों में निर्धारित वहन लागत की मांग की थी।इसलिए, हम पाते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. ने सही माना है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. को राज्य आयोग के समक्ष जो मांगा गया था, उसके विपरीत अपना दावा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, उक्त मुद्दे में भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

36. जहाँ तक मुद्दा सं. 7 का संबंध है, इस निर्णय में

एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (ऊपर दिए गए) के मामले में, हमारे पास है

पहले से ही यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की गणना एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियमों में निर्दिष्ट एस. एच. आर. या वास्तविक एस. एच. आर., जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

ग

37. एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने सी. ई. ए., सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. जैसे विभिन्न विशेषज्ञ निकायों के गठन के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया है कि ये निकाय इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बने निकाय हैं।इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

डी.

"123. हाल ही में इस मामले में इस अदालत की संविधान पीठ ने

विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ ने माना है कि

न्यायालयों को क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए और जब तक यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रत्यक्ष रूप से मनमाने और अवैध हैं, तब तक इस न्यायालय के लिए अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के साथ प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।"

ई.

च

38. एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य (ऊपर) के मामले में, हम

सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिए गए विचार को बरकरार रखते हुए कहा गया है कि संयंत्र स्थल पर 'प्राप्त' कोयले के वास्तविक जी. सी. वी. को ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, उक्त मुद्दे के संबंध में भी कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होगा।

जी.

39. हमारे विचार से अन्य तीन मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं।हम पाते हैं कि एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना 'कानून में बदलाव' के बराबर होगा और क्या एपीएमएल उसी के कारण बहाली का हकदार होगा।

एच.

663

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

40. जहाँ तक उक्त मुद्दे का संबंध है, वही एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. दोनों द्वारा ए. पी. एम. एल. के पक्ष में समवर्ती रूप से रखा जाता है, जिससे लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने की घटना को 'कानून में परिवर्तन' घोषित किया जाता है।जब तक उक्त मुद्दा विकृत या अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता में या बाहरी विचारों पर आधारित नहीं पाया जाता है, तब तक इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

41. इसलिए, हमें इन कारकों द्वारा निर्देशित एम. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. के समवर्ती निष्कर्षों की जांच करनी होगी।

42. पी. पी. ए. के अनुच्छेद 1.1 में पाई जाने वाली 'कानून' की परिभाषा का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

ग

“”कानून "-का अर्थ है, इस समझौते के संबंध में, भारत में लागू बिजली कानून और किसी भी क़ानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम सहित सभी कानून।या भारतीय सरकारी साधन द्वारा उनमें से किसी की कोई व्याख्या और

कानून का बल और इसमें आगे सभी लागू नियम शामिल होंगे।नियम।आदेश देते हैं।उनमें से किसी के अनुसार या उसके तहत एक भारतीय सरकारी उपकरण द्वारा अधिसूचना जारी करना और इसमें सभी नियम शामिल होंगे।नियम।सी. ई. आर. सी. और एम. ई. आर. सी. के निर्णय और आदेश।

डी.

“भारतीय सरकारी उपकरण का अर्थ है भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और कोई भी मंत्रालय या विभाग या बोर्ड, एजेंसी या भारत सरकार या राज्यों की सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य नियामक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण जहां खरीददार और परियोजना स्थित है और इसमें सीईआरसी और एमईआरसी शामिल हैं।

ई.

[जोर दिया गया]

च

43. उक्त परिभाषा के अवलोकन से पता चलेगा कि भारतीय सरकारी साधन द्वारा कोई भी आदेश या अधिसूचना, नियम या विनियमन 'कानून' का गठन करेगा।यह विवादित नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और विभिन्न वैधानिक प्राधिकरण 'सरकारी उपकरण' शब्द के अंतर्गत आते हैं।

जी.

44. यह विवादित नहीं हो सकता कि वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. के तहत कट-ऑफ तिथि 14 अगस्त 2008 थी।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 वी के तहत बाघ अभयारण्य को बफर जोन के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास निहित है। बफर जोन पर विचार और निर्माण के लिए, तीन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा, जो इस प्रकार हैं:

एच.

(i) "एक बफर क्षेत्र की पहचान और स्थापना के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए;

((ii) ऐसी किसी भी अधिसूचना से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाना चाहिए और

((ग) बफर जोन की पहचान और स्थापना वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होगी।"

45. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि 14 अगस्त 2008 से पहले, जिस क्षेत्र में लोहारा कोयला ब्लॉक स्थित है, उसे बफर जोन के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव भी नहीं था।कट-ऑफ तिथि के केवल सात दिन बाद, यानी 21 फरवरी 2008 को, मुख्य वन संरक्षक ने मुख्य क्षेत्र के आसपास बफर ज़ोन बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए मंजूरी दी।इसके बाद, 7 मार्च 2008 को, संरक्षक, टी. ए. टी. आर. ने टी. ए. टी. आर. के मुख्य क्षेत्र के आसपास बफर क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तावित सीमांकन प्रस्तुत किया। ग्राम सभा का परामर्श केवल मई 2008 और नवंबर 2008 के बीच हुआ, यानी कट-ऑफ तिथि के बहुत बाद।इसके बाद, 8 अक्टूबर 2008 को, संरक्षक, टी. ए. टी. आर. ने बफर ज़ोन के लिए संशोधित प्रस्ताव टी. ए. टी. आर. को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन. टी. सी. ए.) सहित कई अन्य विचार-विमर्शों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 5 मई 2010 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें 1101.7711 वर्ग किलोमीटर को अधिसूचित किया गया।किमी.टी. ए. टी. आर. के बफर क्षेत्र के रूप में। इस प्रकार, 5 मई 2010 की अधिसूचना, जिसमें वह क्षेत्र शामिल था जहां लोहारा कोयला ब्लॉक स्थित थे, को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में समझना होगा। यह केवल उक्त अधिसूचना जारी होने के कारण है, कोयला ब्लॉक, जो अन्यथा एपीएमएल के लिए उपलब्ध होता, उसके लिए उपलब्ध नहीं था।

ग

डी.

ई.

च

46. रिकॉर्ड से यह और स्पष्ट है कि एम. ओ. सी. ने 6 नवंबर 2007 के आवंटन पत्र के माध्यम से लोहारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया था और एम. ओ. ई. एफ. ने 28 अप्रैल 2008 की बैठक में ई. ए. सी. की सिफारिश के अनुसार 16 मई 2008 को लोहारा कोयला ब्लॉकों के लिए टी. ओ. आर. प्रदान किया था।6 नवंबर 2007 के एम. ओ. सी. के उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ए. पी. एम. एल. को लोहारा पश्चिम और लोहारा विस्तार कोयला ब्लॉक का आवंटन विशेष रूप से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में उनके 1000 मेगावाट के बिजली संयंत्र की कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कट-ऑफ तिथि पर प्रस्तुत बोली इस आश्वासन के आधार पर थी कि कोयला उसे लोहारा कोयला ब्लॉक से उपलब्ध होगा।यदि 5 मई 2010 की अधिसूचना जारी नहीं की गई होती तो ए. पी. एम. एल. लोहार कोल ब्लॉक ए. से कोयले का उपयोग कर सकती थी।

जी.

एच.

665

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

जो इसे एम. ओ. सी. द्वारा आवंटित किया गया था। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. विशेषज्ञ समिति का एक हिस्सा था जिसका गठन एम. ई. आर. सी. द्वारा 21 अगस्त 2013 के अपने आदेश के अनुसार किया गया था।विशेषज्ञ समिति की बैठक की कार्यवाही में भाग लेने के बाद, एमएसईडीसीएल को उक्त विशेषज्ञ समिति के निर्णय के विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

47. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना एपीएमएल की किसी गलती के कारण नहीं था और यह खुद सीआईएल द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसने एपीएमएल द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापस कर दिया है।

48. हम पाते हैं कि एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के समवर्ती निष्कर्षों के साथ किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी कि लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करना पी. पी. ए. के तहत परिभाषित 'कानून में परिवर्तन' घटना के बराबर होगा।

ग

49. जहाँ तक कार्यप्रणाली का संबंध है, ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. ई. आर. सी. द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसने "हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विधि" का उपयोग करके लोहारा कोयला ब्लॉकों से कोयले की कीमत निर्धारित करने की सिफारिश की है, जो आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है।इसने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसने लोहारा कोयला ब्लॉकों से खनन की लागत पर पहुंचने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली प्रदान की है।विवादित निर्णय और आदेश के निम्नलिखित पैराग्राफ को संदर्भित करना प्रासंगिक होगाः

डी.

ई.

" 8.9 हम यह भी देखते हैं कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. को कोयले की लागत का अनुमान लगाने/निर्धारित करने के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की पद्धति के इस तरह के उपयोग पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए।विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सभी प्रासंगिक तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय पहलुओं का विश्लेषण करने का एक विस्तृत अभ्यास करने के बाद प्रस्तुत की गई थी।विशेषज्ञ समिति ने बाहरी उद्योग विशेषज्ञों यानी कानूनी सलाहकार, वित्तीय विशेषज्ञों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त किया था।मान लीजिए, विशेषज्ञ समिति ने सभी हितधारकों (एम. एस. ई. डी. सी. एल. सहित) के विचारों का संज्ञान लिया और एम. एस. ई. डी. सी. एल. का यह मामला नहीं है कि एम. ई. आर. सी. को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इसकी सुनवाई नहीं की गई थी। वास्तव में, हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि एम. ई. आर. सी. को प्रस्तुत कवर लेटर में एम. एस. ई. डी. सी. एल. के प्रतिनिधि को रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से एक होने का उल्लेख है।इस प्रकार, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है।

च

जी.

एच.

666

8.10 यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां एमएसईडीसीएल ने विशेषज्ञ समिति द्वारा लोहारा कोयले की लागत के इस तरह के निर्धारण का खंडन करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।इसलिए हमारा मानना है कि एम. ई. आर. सी. को विशेषज्ञ समिति द्वारा कोयले की लागत के संबंध में इस प्रकार प्राप्त/निर्धारित आंकड़ों की शुद्धता के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवेकपूर्ण जांच करनी चाहिए थी।हालांकि, विवेकपूर्ण जांच का मतलब यह नहीं है कि अडानी को कानूनी मुआवजे में बदलाव देने या निर्धारित करने के लिए लिंकेज कोयले की लागत को आधार के रूप में लिया जाए।एम. ई. आर. सी. ने स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर गलती की।

8.11 एम. ई. आर. सी. का गलत दृष्टिकोण पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 के तहत निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत को नष्ट कर देता है। वास्तव में, अडानी ने प्रस्तुत किया कि लोहारा कोयले की लागत लिंकेज भाग से ईंधन की लागत को क्रॉस-सब्सिडी देती है, जिसे विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी नोट किया है, लेकिन एम. ई. आर. सी. ने इसकी अनदेखी की है। एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है।

ग

8.12 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उक्त लागत मापदंडों के आधार पर, अडानी प्रत्येक ईंधन स्रोत (यानी कैप्टिव कोयला और लिंकेज कोयला) के लिए दो अलग-अलग बोली धाराओं पर पहुंचे थे।समग्र बोली संख्या व्यक्तिगत बोली धाराओं के भारित औसत पर आधारित थी।इस प्रकार, अध्याय 7 में, विशेषज्ञ समिति ने एम. ई. आर. सी. को सुझाव दिया कि वह अदानी को पुनर्स्थापित करने के लिए लोहारा कोयले की लागत को आधार के रूप में माने।विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसित कार्यप्रणाली के लिए निम्नलिखित तर्क दिएः

डी.

ई.

" 7.1 ..... कंपनी ने कोयला खदान प्रदान करने के लिए भारत सरकार के उपकरणों में से एक के आश्वासन के आधार पर एक पीपीए में प्रवेश किया था।इसलिए, राज्य सरकार के अन्य उपकरणों को बाद में कोयला खदान की अनुपलब्धता के तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।इस तथ्य को एम. ई. आर. सी. द्वारा स्वीकार किया गया है।"

च

8.13 हम इस तर्क से सहमत हैं।यह तर्क दिनांकित 14.09.2019 (2018 की अपील संख्या 202 और 2018 का 305) (अडानी राजस्थान निर्णय) में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के अनुरूप है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

जी.

" 11.13.कानून राहत/मुआवजे में बदलाव का उद्देश्य प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाना है जैसे कि कानून में बदलाव नहीं हुआ था।तत्काल मामले में, यह ए

एच.

667

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

एन. सी. डी. पी. 2007 के तहत घरेलू कोयले की अनुपलब्धता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक कोयले की खरीद में हुई लागत के लिए अदानी राजस्थान को मुआवजा देना शामिल होगा।आई. डी. 1 के एम. ओ. पी. पत्र के साथ-साथ 2016 की संशोधित शुल्क नीति वैकल्पिक कोयले की खरीद में हुई अतिरिक्त लागत के लिए उत्पादकों को मुआवजे के सिद्धांत का समर्थन करती है।अडानी राजस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली प्रथम दृष्टया एमओपी द्वारा घरेलू कोयले की कमी/अनुपलब्धता के लिए

मुआवजे के सिद्धांत/आधार के अनुरूप प्रतीत होती है और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।" 8.13 उपरोक्त मामले में, हमारे द्वारा जिस सिद्धांत पर विचार किया गया था, वह यह है कि प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करने के लिए जो बोली जमा करने के समय प्रचलित थी, प्रभावित पक्ष को बोली-चिन्हित स्रोत से कोयले की अनुपलब्धता/कमी को कम करने के लिए वैकल्पिक कोयले की खरीद में हुई किसी भी अतिरिक्त लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा।चूँकि उपरोक्त मामले में कोयले का चिन्हित स्रोत लिंकेज कोयला था, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत मुआवजा वैकल्पिक कोयले की लागत और लिंकेज कोयले की लागत के बीच का अंतर था।इस तरह की गणना का सूत्र हैःक्षतिपूर्ति = ए-बी [जहाँ 'ए' वैकल्पिक कोयले की लागत है और 'बी' ईंधन के बोली-चिन्हित स्रोत यानी लिंकेज कोयले से कोयले की लागत है।]यहाँ, हमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण लगता है कि अडानी राजस्थान निर्णय में अनुमोदित कार्यप्रणाली में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और ए. एन. आर. में अपने दिनांकित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। (2019 की सिविल अपील सं. 8625-8626)।

ग

डी.

ई.

8.14 अडानी राजस्थान निर्णय में रखे गए समान अनुपात को लागू करते हुए, लोहारा कोयला ब्लॉकों से कोयले की अनुपलब्धता के लिए मुआवजे का सूत्र मुआवजा = ए-बी होना चाहिए था [जहां, 'ए' वैकल्पिक कोयले की लागत है और 'बी' ईंधन के बोली-चिह्नित स्रोत यानी लोहारा कोयला ब्लॉकों से कोयले की लागत है।]कोयले की लागत को आधार के रूप में जोड़ने पर विचार करने से अडानी को उसी आर्थिक स्थिति में नहीं लाया जा सकेगा जैसे कि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ था और इस प्रकार यह एनर्जी वॉचडॉग जजमेंट, उत्तर हरियाणा जजमेंट और संशोधित टैरिफ नीति 2016 द्वारा निर्धारित जनादेश के विपरीत है।

च

जी.

8.15 अडानी ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. को निर्देश देने के लिए पहले प्रार्थना की कि जहां तक कोयले के परिवहन की लागत का संबंध है

एच.

तिरोदा टी. पी. एस. के लिए लोहार कोयला ब्लॉक संबंधित है कि लोहार कोयला ब्लॉकों से कोयले की भूमि लागत का निर्धारण करते समय लागू करों और शुल्कों के साथ लागू रेलवे माल ढुलाई के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है।हम इस तर्क से सहमत हैं।यह अब एकीकृत नहीं है कि कोयले की भूमि लागत में परिवहन लागत शामिल है।नाभा पावर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लिमिटेड बनाम।पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशनलिमिटेड (2018) 11 एससीसी 508 है

उस विषय पर लोकस क्लासिकस जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भूमि की लागत परिवहन लागत को बाहर नहीं कर सकती है।:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“64. हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि इन लागतों को कैसे बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि परियोजना स्थल पर परिवहन लागत की भरपाई अपीलार्थी को करनी होती है।यह हस्तांतरण की पद्धति, यानी रेलवे या सड़क द्वारा योग्य नहीं है। यह भी एक आवश्यकता की बात है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में कुछ जटिलताओं के कारण रेलवे साइडिंग परियोजना स्थल तक नहीं पहुंची थी।यह वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन लागत है जो इसमें शामिल होगी और आर. एफ. पी. में परियोजना से संबंधित गतिविधि/रेलवे साइडिंग के बारे में मील का पत्थर और पास के स्टेशन से एक स्थान तक रेलवे लाइनों का उल्लेख करने से यह संकेत नहीं मिल सकता है कि जब साइडिंग नहीं की गई है तो रेलवे ही परिवहन का एकमात्र साधन है, हालांकि भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण।"

ग

डी.

8.16 इसलिए हमारा मानना है कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. को लोहरा कोयले की लागत (परिवहन लागत सहित) का आधार के रूप में भुगतान करना चाहिए, जबकि कानूनी घटनाओं में बदलाव के लिए अडानी को मुआवजा देना चाहिए।इस मुद्दे का निर्णय तदनुसार किया जाता है और इस मुद्दे पर विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।"50. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ए. पी. टी. ई. एल. का निष्कर्ष विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे एम. ई. आर. सी. ने नजरअंदाज कर दिया था। विशेषज्ञ समिति ने पाया था कि ए. पी. एम. एल. ने भारत सरकार के इस आश्वासन के आधार पर एक पी. पी. ए. में प्रवेश किया था कि उसे लोहारा कोयला ब्लॉकों से कोयला प्रदान किया जाएगा।हालाँकि, जिन कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, उनके कारण, ए. पी. एम. एल. को आवंटित किए गए लोहारा कोयला ब्लॉक को ए. पी. एम. एल. की ओर से बिना किसी गलती के रद्द कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि विशेषज्ञ समिति ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, बाहरी उद्योग विशेषज्ञों, यानी कानूनी सलाहकार, वित्तीय विशेषज्ञों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त किया था।यह उल्लेखनीय है कि उक्त विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से एक एम. एस. ई. डी. सी. एल. का प्रतिनिधि था। उक्त पद्धति के तहत जो दिया गया है वह परिवहन की अतिरिक्त लागत है जो ए

ई.

च

जी.

एच.

669

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.]

ए. पी. एम. एल. को लोहारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के कारण अन्य स्थानों से कोयले के परिवहन के लिए खर्च करना होगा।इसलिए, हम 'कानून में परिवर्तन' घटना के कारण देय मुआवजे पर पहुंचने की कार्यप्रणाली के संबंध में उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

51. इसलिए अपीलों को बिना योग्यता के पाया जाता है और इस तरह खारिज कर दिया जाता है।

52. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं |

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ग

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.